**झारखण्ड सरकार**
**वाणिज्य-कर विभाग**

*पत्र संख्या–वाकर/संशोधन/2/2013–* 5306 */राँची, दिनांक–* 1/12/16

प्रेषक,

**रंजन कुमार सिन्हा,**
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन/अपील/वैट ऑडिट
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी।

**विषयः–** **झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (झारखण्ड अध्यादेश, 06, 2016) के कियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त (विधान) विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–**एल0जी0–26/2016–164 लेज एवं एल0जी0–26/2016–165 लेज दिनांक 04.11.2016** द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा **2, 19, 25, 26, 30, 33, 35, 40, 73, 79 एवं 80** में झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (झारखण्ड अध्यादेश, 06, 2016) द्वारा संशोधन, धारा 73A के रूप में एक नयी धारा का Addition तथा अधिनियम की अनुसूची **II** के **Part B** एवं **Part D** के शीर्ष पर अंकित कर की दर में संशोधन किया गया है।

संबंधित संशोधनों का अभिप्राय/Objectives निम्नवत् है :–

1. **धारा–2** के अन्तर्गत व्यवसाय एवं कार्य संविदा की दी गयी परिभाषा को व्यापक किया गया है।

2. **धारा–19** के अन्तर्गत लगातार 12 माह तक शून्य आवर्त्त दिखलाने वाले निबंधित व्यवसायियों को दिनांक 07.05.2011 के प्रभाव से इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नही होगा। पूर्व में शून्य आवर्त्त दिखलाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नही होने की समय–सीमा 3 माह की थी।

3. **धारा– 25 (10)** के अन्तर्गत Intending औद्योगिक इकाईयों को वैट में निबंधन हेतु राज्य सरकार के उद्योग विभाग से निबंधन प्राप्त करने के अनिवार्यता की शर्त्त समाप्त कर दी गयी है।

4. **धारा 25(11)** के अन्तर्गत बिजली के उत्पादन एवं वितरण के साथ संचरण (Transmission) हेतु भी व्यवसायियों को निबंधन की सुविधा प्रदान की गयी है।

5. **धारा– 26** के अन्तर्गत किसी व्यवसायी को Voluntary Registration देने के पूर्व वाणिज्य–कर आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने की शर्त समाप्त कर दी गयी है।

6. देय कर का भुगतान ससमय नही करने के कारण धारा 30 के अन्तर्गत 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज निर्धारित किया जाएगा। पूर्व में ब्याज निर्धारित करने की यह दर प्रथम तीन माह के लिए तीन प्रतिशत प्रति माह एवं शेष माह के लिए 5 प्रतिशत प्रति माह था।

7. किसी **Tax period** के लिए दाखिल प्रत्येक विवरणी की, **Tax period** समाप्त होने के 5 वर्षों के अन्दर, धारा 33 के अन्तर्गत Scrutiny की जा सकती है।

8. **धारा—35** के अन्तर्गत 2 करोड़ तक के सकल आवर्त वाले वैसे निबंधित व्यवसायी **Assessed** समझे जाएंगे, जो सभी विवरणियाँ / संशोधित विवरणी, भुगतान का साक्ष्य, ब्याज यदि हो तो, का भुगतान वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि तक जमा कर दिया हो और जिस पर Scrutiny के कारण धारा 40 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नही चल रही हो। साथ ही, शर्त यह भी है कि व्यवसायी द्वारा अपने दावों के समर्थन में विवरणी देने की तिथि तक सभी साक्ष्य दाखिल कर दिया गया हो तथा जिनका अधिकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट नही हो।

9. **धारा— 173A** एक नयी धारा जोड़ी गई है जिसमें Transporters, Carriers or Transporting agent or Courier Company के Enrolment को अनिवार्य कर दिया गया है।

10. **धारा— 79** के अन्तर्गत वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (अपील) के न्यायालयों में अपील दायर करने हेतु Appellant द्वारा संपूर्ण स्वीकृत कर एवं ब्याज के अतिरिक्त विवादित कर एवं ब्याज की राशि का **10 प्रतिशत** जमा करना होगा।

इन न्यायालयों में अपील दायर करने की समय—सीमा **30 दिन** को बढ़ाकर **60 दिन** कर दी गयी है।

11. **धारा— 80** के अन्तर्गत वाणिज्य—कर आयुक्त के न्यायालय में Revision दायर करने हेतु Appellant द्वारा संपूर्ण स्वीकृत कर एवं ब्याज के अतिरिक्त विवादित कर एवं ब्याज की राशि का **20 प्रतिशत** जमा करना होगा।

Revision आवेदनों के निष्पादन की समय—सीमा दिनांक 07.05.2011 से समाप्त कर दी गयी है।

12. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II Part B के शीर्ष पर अंकित कर की दर को **5 प्रतिशत** से बढ़ाकर **5.5 प्रतिशत** कर दिया गया है।

13. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II Part D के शीर्ष पर अंकित कर की दर को **14 प्रतिशत** से बढ़ाकर **14.5 प्रतिशत** कर दिया गया है।

शेष अनुसूची के शीर्ष पर अंकित दर में कोई परिवर्तन नही किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्य अनुसूची में अंकित वस्तुओं पर कर की दर पूर्ववत् रहेगी।

14. संबंधित धाराओं में उल्लिखित तिथियों को छोड़कर, यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि 08.11.2016 से प्रवृत्त होगा।

यह पत्र उक्त संशोधनों की वैधानिक विवेचना (Statutory interpretation) न होकर सिर्फ clarificatory प्रकृति का है। विशेष एवं अग्रेतर जानकारी के लिए उक्त अध्यादेश के विभिन्न प्रावधानों एवं संबंधित अधिसूचनाओं का संदर्भ लेना चाहेंगे।

निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (झारखण्ड अध्यादेश, 06, 2016) द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में किये गये राजस्वोन्मुखी संशोधनों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उक्त मद में राजस्व वृद्धि परिलक्षित हो सके।

विश्वासभाजन

1.12.16

**(रंजन कुमार सिन्हा)**
वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त।

/ पंकज